

(प्रपत्र - 3)

9

कार्य का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 से स्यालुका मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई-7.750किमी०)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं० PP/UK/R0410
५१३४७

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गुन्दियाड गांव रामा मोटर मार्ग किमी० 1.00 (रामा) से स्यालुका (लम्बाई-7.750 किमी०) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.5360 है० वन भूमि का लो०नि०वि पी०एम०जी०एस०वाई० कालसी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	पुरोला वन प्रभाग
(iv)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल है० में	4.5360 है० वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	4.0320 है० आरक्षित वन भूमि 0.0000 है० वन पंचायत भूमि <u>0.5040</u> है० सिविल सोयम भूमि ग्राम सीढी बड़कोटी/रंगेऊ <u>4.536</u> है० कुल वन भूमि ०.५
(vi)	हरियाली का घनत्व	
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल-२ मी० पर परिणामना और एफ.आर.एल-४ मी० भी संलग्न किये जाये	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल १२४२ वृक्ष वाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या ६४८ है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या८२ से ८१-८२ तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की दिनांक 15.01.2016 की भूगर्भीय आख्या संलग्न-प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या८२ से ८५ तक चर्चा है।
(ix)	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि से गुजरता है एवं सिविल सोयम भूमि ग्राम स्यालुका की सीमा के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है यदि हां तो क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या ८२ पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जात की दुलभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें	नहीं।

(xii)	यदि कोई सुरक्षित पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेछित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या.....पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन न्यूनत है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या.....पर संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्यासेपर संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राकलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्यापर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजन स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राकलन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्यासेतक संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :- जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातिया कार्यान्वयन ऐजेंसी :- स्वंय वन विभाग समय :- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :- क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रु0लाख का प्राकलन पृष्ठ संख्यासेपर संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रु0लाख का प्राकलन पृष्ठ संख्यासेतक संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रु0लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। रु0लाख परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राकलन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्यापर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्यापर संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	टॉप वन प्रभाग / जिला - उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	844792.45वर्ग किमी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्रफल	85379.51वर्ग किमी0
(iii)	मामलों की संख्या 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्याहै। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्रहै0 है इसमें आरक्षित वन क्षेत्रहै0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक	

	वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क)X..... है। (ख) रिक्त
(v)	अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क)X..... है। में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक ०५-०८-२०१९ को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

Recommended for sanction.

दिनांक :- ५-८-२०१९

स्थान :- पुरोला



हस्ताक्षर (मारणी भूमि)
उप वन संरक्षक
नाम :- टैन्स वन प्रभाग,
पुरोला
सरकारी मोहर